न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 025/2020
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अरविन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति रामगढिया सिख (तरखान) उम्र 21 वर्ष निवासी चक 7 बी बड़ी, सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

........वादी

ब ना म

1. दर्शन सिंह पुत्र सन्ता सिंह जाति रामगढिया सिख (तरखान) निवासी चक 7 बी बड़ी, सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. नवनीत कौर (पुत्री दर्शन सिंह) पत्नी श्री हरबन्स सिंह जाति रामगढियासिख (तरखान) निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। ...... **प्रतिवादीगण**

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर सत्यमेव जयते

उपस्थित– श्री ऋषिपाल जोशी (वादी)
श्री विजय कुमार भाटी (प्रतिवादी–1 व 2)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–3)

दिनांक 13.08.2021

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार चक 7 बी बड़ी पटवार हल्का सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 62/54 के मुरब्बा नम्बर 39 की 0.633 है0 नहरी, मुरब्बा नम्बर 41 की 0.228 है0 नहरी, मुरब्बा नम्बर 59 की 2.764 है0 नहरी, मुरब्बा नम्बर 89/54 की 0.012 है0 खाला कुल 3.745 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 01 दर्शन सिंह पुत्र सन्ता सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी के दादाजी सन्तासिंह के परिवार की हिन्दू मुश्तरका खानदान की संयुक्त जायदाद के विभाजन से प्रतिवादी संख्या 01/वादी के पिताजी को प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है जिसमें वादी का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 01 के एक पुत्र (दर्शन सिंह {वादी}) है तथा एक पुत्री (नवनीत कौर {प्रतिवादी संख्या 02}) है इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 01 के अन्य कोई सन्तान नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज कृषि भूमि का इस प्रकार से घरेलू बंटवारा किया हुआ है कि चक 7 बी बड़ी पटवार हल्का सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 62/54 के मुरब्बा नम्बर 39 की 0.633 है0, मुरब्बा नम्बर 41 की 0.228 है0, मुरब्बा नम्बर 59 की 2.764 है0, मुरब्बा नम्बर 89/54 की 0.012 है0 खाला कुल 3.745 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी अरविन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह को 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 दर्शन सिंह पुत्र सन्ता सिंह को 2/3 हिस्सा प्राप्त हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड, पैक हाउस आदि की सुविधा ले सकता है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 दर्शन सिंह के नाम से

सहायक कलक्टर एव
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 01, वादी को उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की धमकियां देते रहते है। प्रतिवादी संख्या 01 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की काशिश में है। इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को घोषित करवाकर पारिवारिक समझौता अनुसार अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 को दिनांक 29.02.2020 को वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 ऐसा करने से साफ इनकार हो गया है। प्रतिवादी संख्या 03 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 02 उक्त विभाजन में सहमत है परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 के वारिस होने के कारण औपचारिक पक्षकार है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे:–

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर सत्यमेव जयते

(क) प्रतिवादी संख्या 01 दर्शन सिंह पुत्र सन्ता सिंह के नाम दर्ज चक 7 बी बड़ी पटवार हल्का सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 62/54 के मुरब्बा नम्बर 39 की 0.633 है0, मुरब्बा नम्बर 41 की 0.228 है0, मुरब्बा नम्बर 59 की 2.764 है0, मुरब्बा नम्बर 89/54 की 0.012 है0 खाला कुल 3.745 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1/3 हिस्सा कृषि भूमि वादी की घोषित की जावे।
(ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश किये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।
(ग) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

दिनांक 04.08.2020 को पक्षकारान (वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01) द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा प्रस्तुत कर हस्ताक्षर अंकित करते हुए अपने–अपने पहचान–पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई। पक्षकारान में वादी की पहचान अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी द्वारा एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पहचान अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी द्वारा की गई। राजीनामा के तथ्यों के अनुसार पक्षकारान का पंचायत द्वारा मौतबिरान लोगों ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार चक 7 बी बड़ी पटवार हल्का सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 62/54 के मुरब्बा नम्बर 39 की 0.633 है0, मुरब्बा नम्बर 41 की 0.228 है0, मुरब्बा नम्बर 59 की 2.764 है0, मुरब्बा नम्बर 89/54 की 0.012 है0 खाला कुल 3.745 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1/3 कृषि भूमि वादी अरविन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह को हिस्सा कृषि भूमि वादी अरविन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति रामगढिया सिख (तरखान) चक 7 बी बडी सुजावलपुर तह0 व जिला श्रीगंगानगर को बंटवारा में दी हुई है। अतः उक्त राजीनामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 दर्शन सिंह पुत्र सन्ता सिंह के नाम चक 7 बी बड़ी पटवार हल्का सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 62/54 के मुरब्बा नम्बर 39 की 0.633 है0, मुरब्बा नम्बर 41 की 0.228 है0, मुरब्बा नम्बर 59 की 2.764 है0, मुरब्बा नम्बर 89/54 की 0.012 है0 खाला कुल 3.745 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1/3 हिस्सा कृषि भूमि वादी अरविन्द्र पुत्र श्री दर्शन सिंह को 1/3 हिस्सा कृषि भूमि वादी अरविन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति रामगढिया सिख (तरखान) चक 7 बी बडी सुजावलपुर तह0 व जिला श्रीगंगानगर की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है। दिनांक 04.08.2020 को प्रतिवादिया संख्या 02 नवनीत कौर (पुत्री दर्शन सिंह) पत्नी श्री हरबन्स सिंह जाति रामगढियासिख

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

(तरखान) निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी द्वारा जवाब वाद पत्र पेश किया गया जिसके तथ्यों के अनुसार वाद पत्र की बिन्दु संख्या 1, 2, 3 स्वीकार है। वाद पत्र की बिन्दु संख्या 4 के सम्बन्ध में निवेदन है कि उतरदाता के पिताजी एवं भाई अरविन्द्र सिंह ने पारस्परिक सहमति से बंटवारा किया हुआ है तथा उक्त बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने में उतरदाता सहमत है अतः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किये गये राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाता है तो उतरदाता को कोई आपति नहीं है। वाद पत्र की बिन्दू संख्या 5 व 6 वाद कारण से सम्बन्धित है तथा बिन्दू संख्या 7 व 8 कानूनी है। वादी द्वारा वाद पत्र में मांगा गया अनुतोष प्रदान करवाने में उतरदाता सहमत है। अतः जवाब वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर, राजीनामानुसार प्रतिवादी संख्या 01 दर्शन सिंह पुत्र सन्ता सिंह के नाम चक 7 बी बड़ी पटवार हल्का सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 62/54 के मुरब्बा नम्बर 39 की 0.633 है0, मुरब्बा नम्बर 41 की 0.228 है0, मुरब्बा नम्बर 59 की 2.764 है0, मुरब्बा नम्बर 89/54 की 0.012 है0 खाला कुल 3.745 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1/3 हिस्सा कृषि भूमि वादी अरविन्द्र पुत्र श्री दर्शन सिंह को 1/3 हिस्सा कृषि भूमि वादी अरविन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति रामगढिया सिख (तरखान) चक 7 बी बडी सुजावलपुर तह0 व जिला श्रीगंगानगर की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत शपथ–पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के समस्त जायज वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत 2070–2073 ग्राम 7 बी बड़ी, पटवार हल्का सुजावलपुर, भू. अ. नि. क्षेत्र हिन्दूमलकोट खाता संख्या 62/54 की प्रमाणित प्रतियां पेश की। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 01 (वादी के पिता) के नाम विरासतन इन्तकाल खाता संख्या 41/103 ग्राम 7 बी बड़ी, पटवार हल्का सुजावलपुर, भू. अ. नि. क्षेत्र हिन्दूमलकोट की प्रमाणित प्रतियां पेश की। उक्त दस्तावेजों एवं जमाबंदियों के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

आदेश

वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 दर्शन सिंह पुत्र सन्ता सिंह के नाम दर्ज चक 7 बी बडी, पटवार हल्का सुजावलपुर, भू. अ. नि. क्षेत्र हिन्दूमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 62/54 के मुरब्बा नम्बर 39 की 0.633 है0, मुरब्बा नम्बर 41 की 0.228 है0, मुरब्बा नम्बर 59 की 2.764 है0, मुरब्बा नम्बर 89/54 की 0.012 है0 खाला कुल 3.745 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से वादी अरविन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह को 1/3 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत किये जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 13.08.2021 को जारी किया गया।

13/8/21

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर
सत्यमेव जयते

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 025 / 2020
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अरविन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति रामगढिया सिख (तरखान) उम्र 21 वर्ष निवासी चक 7 बी बड़ी, सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

........वादी

ब ना म

1. दर्शन सिंह पुत्र सन्ता सिंह जाति रामगढिया सिख (तरखान) निवासी चक 7 बी बड़ी, सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. नवनीत कौर (पुत्री दर्शन सिंह) पत्नी श्री हरबन्स सिंह जाति रामगढियासिख (तरखान) निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। ...... **प्रतिवादीगण**

उपस्थित–	श्री ऋषिपाल जोशी	(वादी)
	श्री विजय कुमार भाटी	(प्रतिवादी–1 व 2)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–3)

दिनांक 19.08.2021

वादपत्र संख्या 025 / 2020
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी पैरोकार राज प्रतिवादी– 3 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 दर्शन सिंह पुत्र सन्ता सिंह के नाम दर्ज चक 7 बी बडी, पटवार हल्का सुजावलपुर, भू. अ. नि. क्षेत्र हिन्दूमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 62 / 54 के मुरब्बा नम्बर 39 की 0.633 है0, मुरब्बा नम्बर 41 की 0.228 है0, मुरब्बा नम्बर 59 की 2.764 है0, मुरब्बा नम्बर 89 / 54 की 0.012 है0 खाला कुल 3.745 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से वादी अरविन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह को 1 / 3 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 19 अगस्त, 2021 को जारी की गयी.

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर
सत्यमेव जयते

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर